

मध्य प्रदेश शासन  
नर्मदा घाटी विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 31-20/2017/सत्ताईस-एक  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 2017

उपाध्यक्ष,  
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,  
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- इंदिरा सागर मुख्य नहर से ओंकारेश्वर बांयी तट नहर जोड़ने की योजना की प्रशासकीय स्वीकृति ।

संदर्भ :- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रमांक 92/58.04/27/न.नि.मं./17 दिनांक 12/10/2017.

--00--

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 58 वीं बैठक दिनांक 03.10.2017 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा इंदिरा सागर मुख्य नहर से ओंकारेश्वर बांयी तट नहर जोड़ने हेतु संलग्न परिशिष्ट-"1" में उल्लेखित मदों के लिये राशि ₹ 20.12 करोड़ (यूएसआर 2017) (₹ बीस करोड़ बारह लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(प्रतिभा दोरे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 2017

पृ0क्रमांक एफ 31-20/2017/सत्ताईस-एक  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
  2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
  3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
  4. समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
  5. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
  6. महालेखाकार भोपाल/गवालियर मध्य प्रदेश ।
  7. सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
  8. मुख्य अभियन्ता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर / इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद ।
  9. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु अग्रेषित ।
  10. निज सचिव, अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
  11. आर्डर बुक ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग